आवश्यक
नगरपालिका आम/उप चुनाव, 2025

राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार
STATE ELECTION COMMISSION, BIHAR

सत्यमेव जयते

पत्र संख्या- न0नि0 50-187/2023 – 2832

प्रेषक,

मुकेश कुमार सिन्हा (भा.प्र.से.)
सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी-सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)।
पटना, रोहतास, बक्सर, गयाजी, सारण, सिवान, पूर्वी चम्पारण एवं बाँका।

पटना, दिनांक – 21.6.25

विषय : नगरपालिका आम/उप निर्वाचन 2025 – मतगणना से संबंधित दिशा-निर्देश।

प्रसंग : आयोग के पत्रांक 2689 दिनांक 12.06.2025 एवं 2705 दिनांक 13.06.2025

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रासंगिक पत्र द्वारा संबंधित जिला को ई.वोटिंग प्रक्रिया के कार्यान्वयन हेतु विस्तृत दिशा निर्देश दिये गये हैं। ई.वोटिंग प्रक्रिया में मतदाताओं द्वारा निबंधन एवं निर्धारित तिथि को मतदान उपरान्त दिनांक 30.06.2025 को निर्धारित समय पर मतगणना का कार्यक्रम निर्धारित है। इस सन्दर्भ ई.वोटिंग से प्राप्त मतों की गणना एवं उसके पश्चात की जाने वाली कार्रवाई निम्नवत् हैः-

● **मतगणना की प्रक्रिया**

- मतगणना के दिन सर्वप्रथम ई.वोटिंग से प्राप्त मतों की गणना निर्वाची पदाधिकारी द्वारा उनके पटल पर होगी।
- निर्वाची पदाधिकारी द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर/Google Authentication/Aadhaar based Authentication (जो जिसमें लागू हो) से ई.वोटिंग पोर्टल को खोला जायेगा।
- उपस्थित अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्त्ता/गणन अभिकर्त्ता के समक्ष ई.वोट के माध्यम से अभ्यर्थीवार प्राप्त मतों की गणना एवं उद्घोषणा की जायेगी।
- ई.वोटिंग से वार्डवार प्राप्त मतों की विवरणी प्रपत्र-24 (क)(1) में पी.डी.एफ. के रूप में प्राप्त होगी। जिसका प्रिन्ट लेकर निर्वाची पदाधिकारी हस्ताक्षर करेंगे तथा मतगणना हॉल में उपस्थित अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्त्ता/गणन अभिकर्त्ता द्वारा हस्ताक्षर किया जायेगा।
- हस्ताक्षरित प्रपत्र-24 (क)(1) को निर्वाची पदाधिकारी द्वारा सुरक्षित रखा जायेगा।
- ई.वोटिंग से प्राप्त मतों की गणना से संबंधित प्रपत्र-24 (क)(1) में प्राप्त होगी तथा इसे अन्य प्रपत्रों में संधारित कर अन्तिम परिणाम पत्र तैयार करने हेतु पूर्व से प्रेषित `मतगणना अनुदेश पुस्तिका` में संलग्न प्रपत्र

Sone Bhawan, Third Floor, Birchand Patel Marg, Patna - 800 001 Phone : 2506826, 2506917, 2506844, 2506994 Fax : 0612 - 2507847 E-mail : secbihar@gmailcom

21.6.25

में आवश्यक संशोधन किये गये हैं, जो इस पत्र के साथ संशोधित प्रपत्र-24(ख)(1)(A) एवं प्रपत्र-24(ख)(2)(A) संलग्न हैं।

- **अन्तिम मतगणना परिणाम**

◆ ई.वी.एम. से प्राप्त मतों की मतगणना सम्पन्न होने के उपरान्त प्रपत्र-24 (क)(1) में ई.वोटिंग से प्राप्त मतों को अभ्यर्थीवार सम्मिलित कर अन्तिम निर्वाचन परिणाम पत्र विहित प्रपत्र में निर्वाची पदाधिकारी द्वारा तैयार किया जायेगा।

◆ तत्पश्चात निर्वाची पदाधिकारी द्वारा विधिवत रूप से निर्वाचन परिणाम की घोषणा की जायेगी एवं निर्वाचित अभ्यर्थी को निर्वाचन प्रमाण-पत्र हस्तगत कराया जायेगा।

- **मतगणना उपरान्त की जाने वाली कार्रवाई**

◆ **बिहार नगरपालिका निर्वाचन नियमावली, 2007 (यथा संशोधित) के नियम 85 के प्रावधान के अनुसार** उक्त डेटा को अनऐडिटेबल (Read Only) फार्मेट में डी.वी.डी. में पदवार दो प्रति में कॉपी कर ली जायेगी। उक्त ई.वोटिंग से संबंधित परिणाम पत्र की हस्ताक्षरित कॉपी को ई.वी.एम. से प्राप्त डाटा संबंधी कॉपी के साथ-साथ डी.वी.डी. को गॉज लिफाफे में बन्द कर सुरक्षित रखी जायेगी।

◆ उस गॉज लिफाफा पर राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाची पदाधिकारी को आपूरित सेक्रेट सील से सीलबंद कर जिला निर्वाचन पदाधिकारी की अभिरक्षा में रख दिया जायेगा।

◆ उक्त सील बंद लिफाफे की अभिरक्षा एवं विनष्टिकरण की कार्रवाई बिहार नगरपालिका निर्वाचन नियमावली, 2007 के नियम 89 के अधीन की जायेगी। जो निम्नवत् हैं :-

``धारा - 89 - पैकेटों का विनष्टीकरण – (1) उपर्युक्त पैकेट एक साल की अवधि तक रखे जायेंगे तथा राज्य निर्वाचन आयोग अथवा अधिनियम की धारा 476 के अन्तर्गत विहित प्राधिकारी के अन्यथा आदेश के अध्यधीन नष्ट कर दिये जायेंगे।

2. निर्वाचन से संबंधित अन्य कागजात संबंधित वार्ड के लिये अगले सामान्य चुनाव सुरक्षित रखे जायेंगे एवं राज्य निर्वाचन आयोग अथवा अधिनियम की धारा 476 के अन्तर्गत विहित प्राधिकारी के अन्यथा आदेश के अध्यधीन नष्ट कर दिये जायेंगे।``

विदित है कि आयोग द्वारा मतगणना संबंधी अनुदेश पुस्तिका उपलब्ध करायी जा चुकी है। इसके अतिरिक्त नगरपालिका आम निर्वाचन, 2022 के अवसर पर मतगणना में की जाने वाली कार्रवाई से संबंधित निर्देश निर्गत किये गये थे, जो निम्नवत् हैं :-

क्रमांक	पत्रांक/दिनांक		विषय
(क)	6211/19.12.2022	–	मतगणना अभिकर्त्ता की नियुक्ति के संबंध में।
(ख)	6210/19.12.2022	–	मतगणना पश्चात की जाने वाली कार्रवाई संबंधी निदेश।
(ग)	6227/20.12.2022	–	मतगणना के दौरान ई.वी.एम. खराब होने की स्थिति में परिणाम की घोषणा करने के संबंध में।
(घ)	6236/20.12.2022	–	मतगणना के क्रम में ई.वी.एम. में तकनीकी खराबी आने की स्थिति आने पर ई.वी.एम. का प्रिन्ट निकालने के संबंध में।

उपरोक्त सभी पत्रों को इस पत्र के साथ संलग्न किये गये हैं, जिसका उपयोग नगरपालिका आम/उप निर्वाचन, 2025 के निमित्त भी किया जाना है।

अनुरोध है कि तत्संबंधी निदेश से संबंधित निर्वाची पदाधिकारी एवं सहायक निर्वाची पदाधिकारी के साथ-साथ सभी संबंधित को अवगत कराने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक – (क) से (घ) से संबंधित पत्र एवं
संशोधित प्रपत्र-24(ख)(1) एवं प्रपत्र-24(ख)(2)

विश्वासभाजन,

21/6/25

सचिव।

ज्ञापांक - न0नि0 50-187/2023 2832 *पटना, दिनांक –* 21.6.25

प्रतिलिपि, आई.टी. मैनेजर को आयोग के वेबसाईट पर पत्र अपलोड कराने हेतु प्रेषित।

21/6/25

सचिव।

ज्ञापांक - न0नि0 50-187/2023 - 2832 *पटना, दिनांक –* 21.6.25

प्रतिलिपि, प्रमंडलीय आयुक्त, पटना, सारण *एवं तिरहुत प्रमंडल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।*

21/6/25

सचिव।

ज्ञापांक - न0नि0 50-187/2023 - 2832 *पटना, दिनांक –* 21.6.25

प्रतिलिपि, सचिव, नगर विकास एवं विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/6/25

सचिव।

परिशिष्ट–IV (A)
eVote

प्रपत्र– 24 (क)(1)
(नियम–92)

ई–वोट द्वारा डाले गये मतों की गणना का विवरण

जिला .... नगरपालिका ....

पदनाम .... वार्ड संख्या ....

क्र0	अभ्यर्थी का नाम	प्रत्येक अभ्यर्थी के पक्ष में दिए गए विधिमान्य मतों की संख्या
1	2	3

विधिमान्य मतों की कुल संख्या :–

मतगणना का स्थान ....

तारीख ....

निर्वाची पदाधिकारी द्वारा प्राधिकृत
पदाधिकारी का हस्ताक्षर

उपस्थित अभ्यर्थी / निर्वाचन अभिकर्त्ता / गणन अभिकर्त्ता द्वारा निम्न प्रपत्र में हस्ताक्षर किया जाएगा।

क्रमांक	अभ्यर्थी का हस्ताक्षर	निर्वाचन अभिकर्त्ता का हस्ताक्षर	गणन अभिकर्त्ता का हस्ताक्षर

निर्वाची पदाधिकारी द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी / निर्वाची पदाधिकारी का हस्ताक्षर

परिशिष्ट–V
EVM + eVote

प्रपत्र– 24 (ख)(1)(A)

(देखे नियम–81 (छ)(ii) सह पठित नियम 92)

ई.वी.एम. एवं ई. वोट से प्राप्त मतों की गणना का समेकित परिणाम पत्र
(पार्षद पद हेतु)

जिला .... *नगर निगम / *नगर परिषद / *नगर पंचायत..

वार्ड संख्या .... से पार्षद

क्रमांक	मतदान केन्द्र संख्या ➡ अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी के पक्ष में दिए गए विधिमान्य मतों की संख्या						
						ई.वी.एम से प्राप्त कुल मत	ई–वोट से प्राप्त मत	कुल योग
क.	विधिमान्य मतों की कुल संख्या							
ख.	प्रतिक्षेपित मतों की कुल संख्या							
ग.	डाले गए मतों की कुल संख्या (क + ख)							

मैं यह घोषित करता / करती हूँ कि –

नाम ....

पता ....

पार्षद पद के लिए सम्यक रूप से निर्वाचित हो गये है।

मतगणना का स्थान ....

तारीख ....

निर्वाची पदाधिकारी का हस्ताक्षर

---

* जो लागू न हो, उसे काट दें।

नोटः– केवल पार्षद पद हेतु निर्वाचन परिणाम की घोषणा निर्वाची पदाधिकारी द्वारा इस प्रपत्र में की जाएगी।

परिशिष्ट–VI
EVM + eVote

प्रपत्र– 24 (ख)(2)(A)

(देखे नियम–81 (छ)(ii) सह पठित नियम 92)

ई.वी.एम. एवं ई. वोट से प्राप्त मतों की गणना का समेकित परिणाम पत्र
(उप मुख्य पार्षद/मुख्य पार्षद पद हेतु)

जिला .... *नगर निगम/*नगर परिषद/*नगर पंचायत....................................

*नगर निकाय .... से उप मुख्य पार्षद

*नगर निकाय .... से मुख्य पार्षद

वार्ड संख्या ....

क्रमांक	मतदान केन्द्र संख्या ➡ / अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी के पक्ष में दिए गए विधिमान्य मतों की संख्या						
						ई.वी.एम से प्राप्त कुल मत	ई–वोट से प्राप्त मत	कुल योग
क.	विधिमान्य मतों की कुल संख्या							
ख.	प्रतिक्षेपित मतों की कुल संख्या							
ग.	डाले गए मतों की कुल संख्या (क + ख)							

मतगणना का स्थान ....
तारीख ....

सहायक निर्वाची पदाधिकारी/
निर्वाची पदाधिकारी द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी/
निर्वाची पदाधिकारी का हस्ताक्षर

* जो लागू न हो, उसे काट दें।